



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125725

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या- 19513 वर्ष 2026

छेदी लाल शर्मा एवं अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आशीष कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 34

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

1. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, जिन्हें अधिवक्ता श्री आशीष कुमार सिंह द्वारा सहयोग दिया गया तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत वर्तमान आवेदन थाना ब्रह्मपुरी, जिला मेरठ से संबंधित वाद अपराध संख्या- 0413 वर्ष 2016, अंतर्गत धारा 406, 323, 504 एवं 506 आईपीसी से उद्भूत आपराधिक मामला संख्या- 15065/2016 (राज्य बनाम छेदी लाल एवं अन्य), जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या- 7 के न्यायालय में लंबित है, में विद्वान ए.सी.जे.एम., मेरठ द्वारा उन्मोचन आवेदन में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 27.1.2018, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी. अधिनियम), मेरठ द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या- 133 वर्ष 2018 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 7.6.2018 और

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या- 7, मेरठ द्वारा आरोप विरचन के लिए पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 20.1.2026 को निरस्त करने के लिए दायर किया गया है।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या- 2 ने थाना ब्रह्मपुरी, जिला मेरठ में धारा 406, 323, 504 और 506 आईपीसी के तहत वाद अपराध संख्या- 0413 वर्ष 2016 के रूप में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदकों और विपक्षी संख्या- 2 के बीच कुछ व्यावसायिक लेन-देन थे और भुगतान को लेकर उनके बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण वर्तमान प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदकों के विरुद्ध कोई अपराध प्रकट नहीं होता है और वर्तमान अभियोजन केवल उन्हें परेशान करने के दुर्भावनापूर्ण आशय से शुरू किया गया है। पक्षकारों के बीच का विवाद विशुद्ध रूप से दीवानी प्रकृति का है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, आवेदकों ने इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या- 23874 वर्ष 2016 दायर की थी और इस न्यायालय की खंडपीठ ने आदेश दिनांक 22.11.2016 द्वारा पुलिस को धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक आवेदकों को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया था। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। इसके बाद, आवेदकों ने इस न्यायालय के समक्ष धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन संख्या- 22437 वर्ष 2017 दायर किया। इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने आदेश दिनांक 20.07.2017 द्वारा कार्यवाहियों को निरस्त करने से इनकार कर दिया, परंतु आवेदकों को एक उन्मोचन आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान की और विचारण न्यायालय को कानून के अनुसार इसका निस्तारण करने का निर्देश दिया। इसके अनुक्रम में, आवेदकों ने एक उन्मोचन आवेदन दाखिल किया, जिसे विद्वान ए.सी.जे.एम., न्यायालय संख्या- 5, मेरठ ने आदेश दिनांक 27.01.2018 द्वारा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर, आवेदकों ने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या- 133 वर्ष 2018 दायर किया, जिसे विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी. अधिनियम), मेरठ ने भी आदेश दिनांक 07.06.2018 द्वारा खारिज कर दिया। तत्पश्चात, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या- 7, मेरठ द्वारा आदेश दिनांक 20.01.2026 के माध्यम से आवेदकों के विरुद्ध आरोप तय किए गए।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान ए.सी.जे.एम., न्यायालय संख्या- 5, मेरठ और साथ ही विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी. अधिनियम), मेरठ ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार आक्षेपित आदेश पारित नहीं किए हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मामला पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है और विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर आवेदकों के विरुद्ध धारा 406 आईपीसी के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। यह आगे तर्क दिया गया कि आवेदकों द्वारा दायर उन्मोचन आवेदन को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उचित न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना खारिज कर दिया गया था। इसलिए, आदेश दिनांक 27.01.2018, 07.06.2018 और 20.01.2026 निरस्त किए जाने योग्य हैं।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदकों ने महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया है; आवेदकों ने इससे पहले विद्वान ए.सी.जे.एम., न्यायालय संख्या- 5, मेरठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2018 के साथ-साथ विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी. अधिनियम), मेरठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2018 को निरस्त करने की मांग करते हुए धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन संख्या- 24035 वर्ष 2018 दायर किया था। हालांकि, उक्त आवेदन को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने आदेश दिनांक 08.08.2018 द्वारा खारिज कर दिया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान आवेदन मुख्य रूप से उसी राहत की मांग करते हुए दायर किया गया है जिसे इस न्यायालय द्वारा पहले ही अस्वीकार कर दिया गया है। इसलिए, वर्तमान आवेदन पोषणीय नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है।

6. वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार, विपक्षी संख्या- 2 ने धारा 406, 323, 504 और 506 आईपीसी के तहत वाद अपराध संख्या- 0413 वर्ष 2016 के रूप में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आवेदकों ने एक उन्मोचन आवेदन दायर किया, जिसे विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या- 5, मेरठ ने आदेश दिनांक 27.01.2018 द्वारा खारिज कर दिया

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



था। तत्पश्चात्, आवेदकों ने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या- 133 वर्ष 2018 दायर किया, जिसे विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी. अधिनियम), मेरठ ने भी आदेश दिनांक 07.06.2018 द्वारा खारिज कर दिया। इसके बाद, विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.01.2026 के माध्यम से आवेदकों के विरुद्ध आरोप तय किए गए। आवेदकों ने इससे पहले आदेश दिनांक 27.01.2018 और 07.06.2018 को निरस्त करने की मांग करते हुए धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन संख्या- 24035 वर्ष 2018 दायर किया था। हालांकि, उक्त आवेदन को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने आदेश दिनांक 08.08.2018 द्वारा खारिज कर दिया था। आदेश दिनांक 08.08.2018 नीचे पुन-उद्धृत किया जा रहा है:

"आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता नमित श्रीवास्तव और राज्य का पक्ष रख रहे विद्वान अधिवक्ता श्री नरेंद्र कुमार तिवारी को सुना गया।

यह धारा 482 सीआरपीसी आवेदन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या- 5, मेरठ द्वारा आवेदकों की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन आवेदन को खारिज करने वाले आदेश दिनांक 27.01.2018 और आपराधिक पुनरीक्षण संख्या- 133 वर्ष 2018 (छेदी लाल शर्मा एवं 3 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 07.06.2018 को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है और यह भी प्रार्थना की गई है कि आवेदकों को थाना ब्रह्मपुरी, जिला मेरठ से संबंधित वाद अपराध संख्या- 413 वर्ष 2016, अंतर्गत धारा 406, 323, 504, 506 आईपीसी से उद्भूत तथा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या- 5, मेरठ के समक्ष लंबित आपराधिक मामला संख्या- 3256 वर्ष 2016 (राज्य बनाम छेदी लाल शर्मा एवं 3 अन्य) से उन्मोचित किया जाए।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि पक्षकारों के बीच का विवाद पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है, परंतु निचली अदालत ने आक्षेपित आदेश पारित करके आवेदकों के उन्मोचन आवेदन को खारिज कर दिया है, जो निचली अदालत द्वारा विवेक का प्रयोग न करना दर्शाता है और वर्तमान मामले में कंपनी को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विद्वान एजीए ने प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि उस आदेश के विरुद्ध आवेदकों ने इस न्यायालय का रुख किया है और धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन दायर किया है जिसमें इस न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने और उन्मोचन आवेदन दाखिल करने का आदेश पारित किया गया था और उसको विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है जो किसी भी त्रुटि या अवैधता से ग्रस्त नहीं है।

यहाँ उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और आक्षेपित आदेश के साथ-साथ अभिलेख पर लाई गई सामग्री का परिशीलन करने के बाद, मेरा यह मत है कि आक्षेपित आदेश प्रासंगिक विचारों पर आधारित है और सुसंगत कारणों से समर्थित है, इसलिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत इस न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

आवेदन में मेरिट का अभाव है और तदनुसार इसे **खारिज किया जाता है।"**

7. जैसा कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित उपरोक्त आदेश से स्पष्ट है, आवेदक धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन संख्या- 24035 वर्ष 2018 दायर करके दोनों आक्षेपित आदेशों दिनांक 27.01.2018 और 07.06.2018 को पहले ही चुनौती दे चुके थे। उक्त आवेदन आदेश दिनांक 08.08.2018 द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस तथ्य के बावजूद, आवेदकों ने मुख्य रूप से उसी राहत की मांग करते हुए धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत वर्तमान आवेदन फिर से दायर किया है। आवेदकों ने इन पूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं किया कि उन्होंने पहले भी इस न्यायालय के समक्ष धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दाखिल करके उन्हीं आक्षेपित आदेशों को चुनौती दी थी, जिसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया था। यह स्थापित विधि है कि तथ्यों के उसी समूह पर समान राहत की मांग करते हुए धारा 482 सीआरपीसी/धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत दूसरा आवेदन तब तक पोषणीय नहीं होता जब तक कि परिस्थितियों में कोई तात्त्विक परिवर्तन न हुआ हो या कोई ऐसी आगामी घटना न घटी हो जो नए वाद हेतुक को जन्म देती हो।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. वर्तमान मामले में, परिस्थितियों में ऐसा कोई परिवर्तन अभिलेख पर नहीं लाया गया है।
इसलिए, वर्तमान आवेदन पोषणीय नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है।
9. तदनुसार, आवेदन खारिज किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

4 जून, 2026

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।